23/1/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वारसान
के द्वारा पेश संयुक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से
शामिल किया जाकर डिक्री पारित हो। नंबर
से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS 2025/542

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 268/2025 GCMS:- 2025/542 दायर दिनांक : 20.08.2025
(पुराना प्रकरण सं. 150/06.08.2008)

1. बीरबलराम
2. सुखराम
3. लिखमाराम

पुत्रगण परमाराम अकवाम मेघवाल निवासीयान चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. परमाराम पुत्र लाधूराम जाति मेघवाल निवासी खारिया हाल आबाद चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मन्शाराम पुत्र परमाराम जाति मेघवाल निवासी चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. पूर्णाराम पुत्र परमाराम जाति मेघवाल निवासी चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
6. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़
7. अन्नी देवी
8. मघी देवी
9. लाली देवी
10. दुर्गा देवी

पुत्रियां परमाराम अकवाम मेघवाल निवासीयान चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 23.01.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय [illegible] अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद–पत्र वास्ते घोषणा व खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209, राजस्थान

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 127 / 55 (15) के किला नं. 18 से 23 = 1.518 है0 व पत्थर नं. 127 / 56 (22) के किला नं. 1–2 = 0.506 है0, कुल 2.024 है0 कमाण्ड भूमि, जो पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है, में से वादीगण को 3 / 10 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने व बाद अंकन अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर, रास्ता एवं सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे दिनांक 06.08.2008 को 150 नम्बर पर दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व 7 से 10 की ओर से जवाब प्राप्त होने पर तनकीयात कायम की गई। पक्षकारान की बहस सुनी गई व साक्ष्य लिये गये एवं निर्णय व आदेश दिनांक 17.03.2015 के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर वादीगण को जैरवाद भूमि में से 3 / 10 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर, तहसीलदार सूरतगढ़ को मुताबिक घोषणा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने एवं बाद अंकन अच्छी व खराब, में से खराब के आधार पर, रास्ता एवं सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.03.2015 द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा मुताबिक घोषणा प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित जैरवाद भूमि में से 3 / 10 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर, चालू जमाबन्दी एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.05.2025 को भिजवाये जाने पर, अभिलेखागार से पत्रावली तलब कर पुनः पेशी में ली गई और नये नम्बर पर दर्ज कर उभय पक्ष के अभिभाषकगण को सूचित किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये साधारण व पंजीकृत मय ए.डी. नोटिस जारी किये गये। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 09.10.2025 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 व 6 से 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विभाजन प्रस्ता[illegible]स्थित पक्षकारान को सुना गया। अभिभाषक वादीगण ने [illegible], सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति [illegible] इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव जैरवाद भूमि का खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते हैं।

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर, विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न जमाबन्दी वाके चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ की सम्वत् 2072 से 75 की संयुक्त खाता सं. 9/7 में अंक़ित पत्थर नं. 127/55 (15) के किला नं. 18 से 23 = 1.518 है0 व पत्थर नं. 127/56 (22) के किला नं. 1–2 = 0.506 है0, कुल 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि, जिसमें से 607/6072 हिस्सा भूमि वादी सं. 1 बीरबलराम पुत्र परमाराम के नाम, 607/6072 हिस्सा भूमि वादी सं. 2 सुखराम पुत्र परमाराम के नाम, 607/6072 हिस्सा भूमि वादी सं. 3 लिखमाराम पुत्र परमाराम के नाम 607/6072 हिस्सा व शेष 1417/2024 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 परमाराम पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, का खाता विभाजन कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शानुसार चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 127/55 (15) के किला नं. 22/0.101 है0 इस किले का पूर्वी पासा, 23/0.253 है0 = 0.354 है0 व पत्थर नं. 127/56 (22) के किला नं. 2 = 0.253 है0, कुल 0.607 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का खाता वादीगण बीरबलराम, सुखराम, लिखमाराम पुत्रगण परमाराम अकवाम मेघवाल निवासीयान खारिया के नाम से बहिस्सा बराबर अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं शेष भूमि चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 127/55 (15) के किला नं. 18 से 21/1.012 है0, 22/0.152 है0 इस किले का पश्चिमी पासा = 1.164 है0 व पत्थर नं. 127/56 (22) के किला नं. 1 = 0.253 है0, कुल 1.417 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 परमाराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया के नाम यथावत अंकित रहेगी। उक्त पक्षकारान में से यदि किसी पक्षकार का रक़बा रिकॉर्ड में रहन अंकित हो तो उस पक्षकार के नाम से रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार खातेदार के नाम के आगे अंकित किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार पक्षकारान का अलग अलग खाता कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। इसी अनुसार आज्ञप्ति डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 23.01.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ — मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अन्तिम डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

1.	बीरबलराम	पुत्रगण परमाराम अकवाम मेघवाल
2.	सुखराम	निवासीयान चक 103 आर.डी.एल.
3.	लिखमाराम	तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. परमाराम पुत्र लाधूराम जाति मेघवाल निवासी खारिया हाल आबाद चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मन्शाराम पुत्र परमाराम जाति मेघवाल निवासी चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. पूर्णाराम पुत्र परमाराम जाति मेघवाल निवासी चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
6. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़

7.	अन्नी देवी	पुत्रियां परमाराम अकवाम मेघवाल
8.	मघी देवी	निवासीयान चक 103 आर.डी.एल.
9.	लाली देवी	तहसील सूरतगढ़
10.	दुर्गा देवी	जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 268 वर्ष 2025 (पुराना 150 वर्ष 2008) यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री राकेश कुमार मनचन्दा एवं राज पैरोकार** के पेश होने पर **अन्तिम डिक्री** जारी कर निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है :

विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर, विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न जमाबन्दी वाके चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ की सम्वत् 2072 से 75 की संयुक्त खाता सं. 9/7 में अंकित पत्थर नं. 127/55 (15) के किला नं. 18 से 23 = 1.518 है0 व पत्थर नं. 127/56 (22) के किला नं. 1–2 = 0.506 है0, कुल 2.024 है0 कमाण्ड खातेदारी भू[illegible] [illegible] से 607/6072 हिस्सा भूमि वादी सं. 1 बीरबलराम पुत्र परमाराम के नाम, 607/6072 हिस्सा भूमि वादी सं. 2 सुखराम पुत्र परमाराम के नाम, 607/6072 हिस्सा भूमि वादी सं. 3 लिखमाराम पुत्र परमाराम के नाम 607/6072 हिस्सा व शेष 1417/2024 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

{अन्तिम डिक्री प्र.सं. 268/2025 (पुराना 150/2008) बीरबलराम वगैरह बनाम परमाराम व अन्य}

परमाराम पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, का खाता विभाजन कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शानुसार चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 127/55 (15) के किला नं. 22/0.101 है0 इस किले का पूर्वी पासा, 23/0.253 है0 = 0.354 है0 व पत्थर नं. 127/56 (22) के किला नं. 2 = 0.253 है0, कुल 0.607 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का खाता वादीगण बीरबलराम, सुखराम, लिखमाराम पुत्रगण परमाराम अकवाम मेघवाल निवासीयान खारिया के नाम से बहिस्सा बराबर अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं शेष भूमि चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 127/55 (15) के किला नं. 18 से 21/1.012 है0, 22/0.152 है0 इस किले का पश्चिमी पासा = 1.164 है0 व पत्थर नं. 127/56 (22) के किला नं. 1 = 0.253 है0, कुल 1.417 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 परमाराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया के नाम यथावत अंकित रहेगी। उक्त पक्षकारान में से यदि किसी पक्षकार का रकबा रिकॉर्ड में रहन अंकित हो तो उस पक्षकार के नाम से रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार खातेदार के नाम के आगे अंकित किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] .... मुब्लिंग ....×.......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×........ फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक [illegible] की अदा करें।

[illegible]ख़्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.01.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़